न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
70/2022	6.12.2022	05/3/2025

1. मोहनलाल पुत्र पिल्लू, बैरवा निवासी बाढ सालोदा तहसील गंगापुर सिटी
2. लक्ष्मण लाल पुत्र पिल्लू, बैरवा निवासी बाढ सालोदा तह0 गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट
बाबत् दुरूस्त किए जाने किस्म भूमि

उपस्थित :— श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण मोहनलाल, लक्ष्मण लाल वगैरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण एवं अन्य सह खातेदारों की भूमि ख0नं0 101 रकबा 0.39 है0 ग्राम बाढ सालोदा तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। वर्तमान में इस भूमि की किस्म गैर मुमकिन सडक दर्ज हो रही है जबकि यह भूमि कभी सडक की भूमि नहीं रही न इस पर सडक बनी हुई है। सेटलमेन्ट से पूर्व इस भूमि का साबिक खसरा नम्बर 46 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा था तथा उसकी खातेदारी गंगाधर पुत्र वंशी व पिल्लू पुत्र मांग्या के नाम सं0 2022 से 2025, सं0 2026 से 2029 तथा सं0 2030 से 2033 में दर्ज थी और ख0नं0 46 की किस्म बारानी दर्ज थी। प्रार्थीगण मोहनलाल तथा लक्ष्मण पूर्व खातेदार पिल्लू के पुत्रगण हैं। भूमि ख0नं0 101 रकबा 0.39 है0 की किस्म गैरमुमकिन सडक गलत दर्ज है जबकि यह किस्म बारानी दर्ज होनी चाहिए थी। यह एक लिपिकीय भूल है जिसे सुधारे जाने का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। इस त्रुटि के बने रहने से प्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारों को हानि है। वे अपनी इस भूमि पर के0सी0सी0 लोन नहीं ले सकते। प्रार्थीगण ज[illegible] भूमि पर के0सी0सी0 ऋण लेने के लिए पटवारी हलका [illegible] 5.12.[illegible] को मिले तो उन्होने बताया कि भूमि की किस्म गैरमुमकिन सडक दर्ज है इसलिए इस पर आप लोगों को कोई लोन नहीं मिल सकता। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि भूमि ख0नं0 101 रकबा 0.39 है0 ग्राम बाढ सालोदा की किस्म दुरूस्ती

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:59:38 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट

कर गैर मुमकिन सडक के स्थान पर गैर मुमकिन बारानी दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्देशित फरमावें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या 19 ग्राम बाढ सालोदा, नकल नक्शा ट्रेस,नकल मिलान क्षेत्रफल नकल साबिक जमाबंदी सं0 2025 से 2028, नकल साबिक जमाबंदी सं0 2030 से 2033 पेश किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/2024/6090 दिनांक 4. 11.2024 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2026 से 2029 के अनुसार भूमि ख0नं0 46 रकबा 1 बीघा 14 विस्वा ग्राम बाढ सालोदा गंगाधर पुत्र बन्सी व पिल्लू पुत्र मंगला की खातेदारी में दर्ज रही है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0नं0 46 से नवीन ख0नं0 102 रकबा 0.33 है0 बना है एवं साबिक ख0नं0 46 व 43 को मिलाकर नवीन ख0नं0 101 रकबा 0.39 है0 बनाया गया है। नकल खतौनी जमाबंदी सं0 2039 के अनुसार ख0नं0 101 रकबा 0.39 है0 रेल्वे विभाग के नाम दर्ज रही है जो नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 3.5.90 के अनुसार पिल्लू पुत्र मंगल हिस्सा 1/2 देवया सुवा पि0 गंगाधर हि0 1/2 के नाम दर्ज हुई जिसमें भूमि की किस्म गै0मु0रेल्वे अंकित रही है परन्तु वर्तमान नकल जमाबंदी सं0 2072 से 2075 खाता संख्या नवीन 19 ग्राम बाढ सालोदा में भूमि ख0नं0 101 रकबा 0.39 है0 की किस्म गै0मु0सडक दर्ज है। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट में उक्त खसरा नम्बर में सम्पूर्ण खसरे पर मकानात बने हुए हैं तथा मौके पर कोई सडक नहीं होना बताया है तथा रिपोर्ट में अन्त में तहसीलदार गंगापुर सिटी ने भूमि की किस्म गै0मु0 से बारानी ए किए जाने/नहीं किए जाने के सम्बन्ध में टिप्पणी हेतु मार्गदर्शन चाहा है। इस प्रकार तहसीलदार गंगापुर सिटी रिपोर्ट से स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थीगण जिस भूमि ख0नं0 101 की किस्म गै0मु0सडक के स्थान पर गै0मु0बारानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:59:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
...पुर सिटी (राज0)
...कारी
(राज0)

कराना चाहते हैं उस सम्पूर्ण खसरे में मौके पर मकानात बने हुए हैं। जब भूमि पर मौके पर मकानात ही बन चुके हैं तो प्रार्थीगण भूमि की किस्म परिवर्तित कराने का अधिकार नहीं रखते हैं। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/3/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.31 10:59:38 IST
Reason: SelfAttested